न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00379

मोहन लाल आत्मज राम गोपाल जाति ब्राह्मण निवीस ग्राम पलायथा तहसील अन्ता जिला बारां ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. शिवदत्त आत्मज घांसीलाल जाति ब्राह्मण ।
2. मनोज कुमार आत्मज कृष्ण कुमार जाति ब्राह्मण ।
3. संतोष पत्नी कृष्ण कुमार जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम पलायथा तहसील अन्ता जिला बारां ।
4. प्रेम बाई पुत्री रामगोपाल पत्नी गोवन्दि लाल जाति ब्राह्मण निवासी चारसला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. सरस्वती पुत्री नन्दकंवरी पत्नी बृज मोहन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बालदडा तहसील अन्ता जिला बारां ।
6. कृष्णा पुत्री नन्द कंवरी पत्नी गोपाल लाल जाति ब्राह्मण निवीस के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
7. गायत्री पुत्री जय कंवरी बाई पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश जी जाति ब्राह्मण निवीस चारसला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
8. राममूर्ति पुत्री जय कंवरी बाई पत्नी देवकी नन्द जी जाति ब्राह्मण निवासी बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।
9. सत्यनारायण माता जयकंवरी बाई पिता कल्याण जाति ब्राह्मण निवीस तेल फेक्ट्री के पास बारां जिला बारां ।
10. रमेश पुत्र जयकंवरी बाई माता पिता कल्याण जाति ब्राह्मण निवासी गांधी सागर रोड बाला जी की टेकरी के सामने रावत भाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ ।
11. संतोष पत्नी लोकेश दाधीच जाति ब्राह्मण निवासी बारां तहसील बारां जिला बारां ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रूपेश कुमार श्रृंगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 16.03.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रीछाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा में कुल 02 किता की रकबा 0.42 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि के प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार हैं । इसी प्रकार ग्राम रीछाहेडी में कुल 05 किता की 4.97 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी एवसं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । उक्त वादग्रस्त आराजियात पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति है जिसका पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । सम्पूर्ण आराजियात पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादीगण उक्त आराजियात को बिना विभाजन करवाये खुर्द–बुर्द एवं बेचान करने पर आमादा हैं । अप्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है किन्तु अप्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज होने के आधार पर उक्त भूमि का बिना विभाजन करवाये उक्त भूमि को रहन, बेचान करने पर आमादा हे । प्रथमदृष्या प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद प्रतिवादीगण उक्त भूमि अथवा उसके किसी भू–भाग को बिना विभाजन करवाये खुर्द–बुर्द एवं रहन, बेचान नहीं करे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 30.05.2018 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2018 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के शामलाती खाते की भूमि है जो पूर्व में प्रार्थी के पिता रामगोपाल जी के खाते में दर्ज थी । वादग्रस्त आराजी का बिना विभाजन करवाये रेस्पोडेन्टगण को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2018 निरस्त फरमाया जावे तथा अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी का विभाजन कराये बिना खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान नहीं करें ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि ग्राम रीछाहेडी की कुल 05 किता की 4.97 हैक्टर भूमि शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है । इसके बाबत् अधीनस्थ न्यायालय

ने यह आदेश पारित किया है कि वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी न तो खातेदार है और न ही प्रार्थी का किसी विशिष्ट भूमि पर कब्जा प्रमाणित है । वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के पिता रामगोपाल के खाते में दर्ज थी । प्रार्थी रामगोपाल जी का इकलौता पुत्र है । रामगोपाल जी की 03 पुत्रियॉ भी थी जिनका व उनके वारिसान का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है । किसी एक सहखातेदार को बिना विभाजन कराये आराजी का विक्रय करने का अधिकार नहीं है । रेस्पोडेन्ट राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी को बेचान करने पर आमादा हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2018 निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी को बिना विभाजन करवाये रहन, बेचान नहीं करें ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते में दर्ज है और संयुक्त खाते की आराजी में प्रत्येक सहखातेदार को अपने हिस्से का बेचान करने का अधिकार होता है । सहखातेदारी की आराजी में सहखातेदार के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2018 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया है और आदेशिकाओं के अनुसार मूल वाद के साथ पेश करने के लिए तारीख दी गई हैं । दिनांक 30.05.2018 में लोक अदालत में पक्षकारों की अनुपस्थिति में गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है । प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीगण के द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया है और लोक अदालत में पक्षकारों की अनुपस्थिति में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उभयपक्षीय बहस सुनकर निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी रेस्पोडेन्टगण से जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उभयपक्षीय बहस सुनकर विधि सम्मत रूप से नये सिरे से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.04.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/3/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा